

दुर्घ शीत केन्द्र बैतूल
इटारसी रोड, कोसमी बैतूल – 460001
(भोपाल सहकारी दुर्घ संघ मर्यादित)
डेरी प्लांट हबीबगंज, भोपाल – 462024

// स्केप विक्रय हेतु अल्पकालीन सीमित ऑफलाइन निविदा //

दुर्घ शीत केन्द्र बैतूल इटारसी रोड, कोसमी बैतूल (भोपाल सहकारी दुर्घ संघ मर्यादित भोपाल) के द्वारा वर्ष भर अर्थात् 1 जुन 2020 से 31 मई 2021 तक के लिये अनुपयोगी स्केप “जहाँ है जैसी है” के आधार पर विक्रय करने हेतु अल्पकालीन ऑफलाइन निविदा_आमंत्रित की जाती है। स्केप सामग्री में मुख्य रूप से वेस्ट लिकेज पाउच फिल्म पोलीथीन (स्केप यार्ड में उपलब्ध अनुपयोगी वस्तुएँ) हेतु निविदा आमंत्रित की जाती हैं। किसी भी निविदा (निविदाओं) को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा। निविदा संबंधी शर्तें एवं अन्य विस्तृत जानकारी एम.पी.सी.डी.एफ. की वेबसाईट www.mpcdf.nic.in उपलब्ध हैं।

कार्य	धरोहर राशि रु0	निविदा प्रपत्र की राशि रु0	निविदा ऑफलाइन जमा करने की अंतिम दिनांक एवं समय	निविदा खोलने की अंतिम दिनांक एवं समय
वेस्ट लिकेज पाउच फिल्म पोलीथीन	10,000/-	500/-	03.06.2020 2.30 बजे	04.06.2020 3..30 बजे

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

दुग्ध शीत केन्द्र बैतूल
इटारसी रोड, कोसमी बैतूल – 460001
(भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित)

निविदा प्रपत्र

1 निविदा संदर्भ	:	भोसदुसं / बैतूल / स्केप–07 / 2019
2 अनुसूची प्रथम	:	कार्य का विवरण एंव सामान्य शर्ते
3 अनुसूची द्वितीय	:	अनुपयोगी वस्तुओं का विवरण एंव प्रत्येक हेतु निर्धारित धरोहर राशि
4 निविदा फार्म	:	दरें ऑफलाईन भरना होगा
5 निविदा दस्तावेज जमा करने की अंतिम :		दिनांक 03.06.2020
दिनांक एंव समय		अपराह्न 2.30 बजे तक
6 निविदा दस्तावेज खोलने की	:	दिनांक 04.06.2020
दिनांक एंव समय		अपराह्न 3.30 बजे
7 निविदा दस्तावेज खोलने का स्थान :		कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र, बैतूल इटारसी रोड, कोसमी बैतूल – 460001
8 सूचना एवं पत्राचार हेतु पता	:	कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र, बैतूल इटारसी रोड, कोसमी बैतूल – 460001
9 निविदा प्रपत्र का क्य मूल्य	:	रु. 500/- (पाँच सौ रुपये मात्र)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

अनुसूची प्रथम

कार्य का विवरण, परिस्थितियाँ एंव सामान्य शर्ते –

1. दुग्ध शीत केन्द्र, बैतूल कोसमी बैतूल में पालिथीन स्केप मटेरियल' "जहाँ एवं जिस स्थिति में है" के विक्रय हेतु 1 वर्ष की अवधि के लिये दरें आमंत्रित करता हैं। निविदा के सामान्य शर्ते अनुसूची प्रथम एंव स्केप मटेरीयल के विस्तृत विवरण मय वॉछित धरोहर राशि अनुसूची द्वितीय में दर्शाया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ भोपाल को प्राप्त किसी एक या सम्पूर्ण निविदायें निरस्त करने का अधिकार है, जिसके लिये उन्हें कारण बताने की आवश्यकता नहीं है।

2. निविदा प्रस्तुति :

(अ) निविदाकर्ताओं को स्पस्ट रूप से निर्देशित किया जाता है कि निविदाओं मे पता, दूरभाष, ई-मेल आदि में कोई परिवर्तन होता है तो समय पर ही दुग्ध संघ भोपाल कार्यालय को सूचित करें ताकि पत्राचार परिवर्तित पते पर किया जा सके।

3 धरोहर राशि :

(अ) सभी निविदाकर्ताओं को यह अनिवार्य है कि समूह अनुसार वॉछित धरोहर राशि डी.डी. के माध्यम से जमा करना होगा। अन्य किसी प्रकार से प्रेषित धरोहर राशि को स्वीकृत नहीं किया जायेगा, एवं संघ में यदि किसी भी मद में पूर्व में धरोहर राशि जमा हो तो वह भी मान्य नहीं होगी। **बिना धरोहर राशि के निविदा स्वीकार योग्य नहीं होगी।**

(ब) धरोहर राशि असफल निविदाकर्ताओं को निविदा अनुमोदन के 90 दिन के अन्दर वापिस कर दी जायेंगी। सफल निविदाकर्ताओं की धरोहर राशि संघ द्वारा बतौर प्रतिभूति की राशि के रूप में रखा जा कर निर्धारित समय अवधि उपरान्त ही वापिस की जायेंगी।

(स) धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

4 दरों की वैधता :

(अ) निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अनुपयोगी वस्तुओं की दरें वर्ष भर स्थिर होनी चाहिये। अतः संघ द्वारा निर्धारित समय अवधि तक दरों की वैधता को ध्यान में रखकर ही दरें प्रेषित करें। दरों का अनुमोदन निविदा खुलने के 05 दिवस में सफल निविदाकारों को सूचित किया जावेगा।

(ब) आवश्यकतानुसार उच्चतम दर के निविदाकार से आपसी सहमति से निविदा दरों के संबंध मे सुलह वार्ता (Negotiation) की जा सकती है।

5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल को अनुपयोगी वस्तुओं के विक्रय का सम्पूर्ण अधिकार है, किन्तु वे कोई निविदा का अंश या सम्पूर्ण निविदायें जो संघ में प्राप्त हैं, बिना कारण बताये निरस्त कर सकते हैं। बिका हुआ निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय है तथा विक्रय उपरांत इसे न तो वापिस लिया जावेगा और न ही राशि वापिस की जावेगी।

6. निविदा में गलत पता और परिचयात्मक सही न होने के कारण निविदा स्वीकृत न हो सके तो उसका उत्तरदायित्व निविदाकर्ता का होगा, संघ का नहीं।

7. निविदा जमा करने के उपरान्त निविदाकर्ताओं को निविदा वापिस लेने का अधिकार नहीं होगा। निविदा में प्रेषित दरों के लिये निविदाकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।

8. अनुमोदित निविदाकर्ता को अनुपयोगी वस्तुओं की कोई भी निश्चित मात्रा अंश या बिल्कुल नहीं विक्रय करने के लिये संघ स्वतंत्र है।

9. सफल निविदाकर्ता को, संघ मे उपलब्ध अनुपयोगी वस्तु " जहाँ है जैसी है " स्थिति में क्रय कर उठाना होगा। उदाहरण स्वरूप जूट बैग / कागज के बैग, पेपर के कार्टून आदि स्केप गीला सूखा उठाना होगा।

10. संघ द्वारा अनुमोदित निविदाकर्ता को अनुपयोगी वस्तु उठाने हेतु दो स्मरण पत्र दिये जावेंगे जो डाक द्वारा भेजे जावेंगे। उनके उत्तर अप्राप्त होने या उस पर निविदाकर्ता द्वारा वॉछित क्रय कार्यवाही न करने की स्थिति में संघ को निविदाकर्ता की धरोहर राशि / प्रतिभूति राशि जब्त करने का अधिकार होगा।

11. निविदाकर्ता अनुसूची द्वितीय में दर्शाई गई धरोहर राशि वर्ग समूह के आधार पर प्रेषित करना अनिवार्य है।

12. यदि निविदाकर्ता या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति कोई दरें प्रेषित करता है एवं यदि मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल दुर्घ संघ को नियम के विपरीत लगता है तो वह निविदा निरस्त कर सकते हैं।

13. निविदाकर्ता द्वारा अनुपयोगी वस्तु की जितनी मात्रा होगी उतनी ही उठानी होगी संघ की किसी भी अनुपयोगी वस्तु की मात्रा को छांटने की अनुमति निविदाकर्ता को नहीं होगी। स्केप मटेरियल को एकत्रित करना लोडींग एवं परिवहन की व्यवस्था निविदाकार की होगी।

14. समस्त स्केप सामग्री के संबंध में स्वीकृत दर निविदाकर्ता को स्केप विक्य आदेश प्राप्त होने पर भंडारित स्केप क्य कर डेरी परिसर से प्रतिमाह उठाकर ले जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा दुर्घ संघ निविदाकर्ता का आदेश निरस्त कर धरोहर राशि राजसात कर सकेगा।

15. यदि कोई निविदाकर्ता इस निविदा में सम्मिलित होता है तो यह माना जावेगा कि उसे निविदा की सभी शर्तें स्वीकार हैं। निविदाकर्ता की कोई भी शर्त संघ को मान्य नहीं होगी।

16. अनुपयोगी स्केप को एकत्रित करने के लिये निविदाकर्ता को स्वयं का अपना प्रतिनिधि डेयरी में भेजना होगा। असफल होने की स्थिति में संघ द्वारा स्केप एकत्रित कराया जायेगा जिसका व्यय स्वयं निविदाकर्ता को वहन करना होगा।

17. **क्य प्रणाली एवं भुगतान :**

प्रत्येक आयटम/लॉट का विक्य संघ द्वारा निर्धारित समस्त प्रक्रियाओं का पालन करते हुए किया जावेगा। सामग्री का निर्गमन निर्धारित धनराशि जमा करवाने के पश्चात भंडार शाखा द्वारा आवश्यक प्रपत्र मिलने के बाद ही कार्यालयीन दिवसों में सायं 4.00 बजे तक किया जायेगा। खाली गाड़ी व भरी गाड़ी तौलने हेतु संघ के नियमानुसार स्केप क्रेता को शर्त मान्य करना अनिवार्य है अर्थात खाली गाड़ी पहले संघ के तौल कांटे पर तौल की जावेगी इसके बाद भरी गाड़ी का वजन संघ के तौल कांटे पर किया जावेगा, जिसे निविदाकर्ता को मान्य करना होगा।

18.. स्केप पर शासकीय नियमानुसार विक्य कर एवं अन्य जैसे टीसीएस आदि को निविदाकर्ता द्वारा वहन करना होगा। निविदाकर्ता को निविदा के साथ फर्म का या मालिक होने का प्रमाण पत्र सहित पेन कार्ड नं0 एवं GST registration की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

19. उपयोगी सामग्री को संघ किसी भी समय अलग निकालने को स्वतंत्र रहेगा एवं अनुमोदित निविदाकर्ता को अनुपयुक्त या क्षतिग्रस्त सामग्री की मात्रा को स्वीकार कर क्य करना होगा।

20. संघ के कर्मचारी /अधिकारी को स्वयं के वास्ते जो सामान की यदि आवश्यकता होगी उसे स्वीकृत दर पर विक्य किया जा सकेगा, इसमें अनुमोदित निविदाकार की आपत्ति स्वीकार नहीं होंगी।

21. यदि आवश्यक होने पर किसी भी स्केप सामग्री की अनुमोदित दर को अनुमोदित निविदाकार के पक्ष में निर्धारित समय सीमा से 6 माह तक बढ़ाने का अधिकार संघ को होगा। जो कि निविदाकर्ता पर बंधनकारी होगा।

22. यह स्पष्ट रूप से समझा जाये कि अनुमोदित निविदाकर्ता द्वारा संघ के आदेश का पालन न करने पर अंतिम निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुर्घ संघ मर्यादित भोपाल का होगा जो संबंधित निविदाकर्ताओं पर बंधनकारी होगा।

23 **विवादास्पद स्थिति में अंतिम निर्णय :**

किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में विवाद का निदान माध्यस्थम् सुलह अधिनियम 1996 (**Arbitration and Conciliation Act. 1996**) के अंतर्गत किया जावेगा जिसके अंतर्गत अध्यक्ष, भोपाल सहकारी दुर्घ संघ मर्यादित भोपाल अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में विवाद का निराकरण करेंगे जो दोनों पक्षकारों पर बंधनकारी होंगे।

24 सभी प्रकार के न्यायालयीन विवादों का स्थान भोपाल शहर मे होगा।

25. निविदाकार को **Technical bid** के साथ पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आपके पक्ष मे प्रदायित **Recycler** का लायसेंस संलग्न करना अनिवार्य होगा, लायसेंस न होने की स्थिति मे निविदा अमान्य की जावेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

: अनुसूची द्वितीय :

अनुपयोगी वस्तुओं की सूची एवं निर्धारित धरोहर राशि का विवरण

क्रमांक	अनुपयोगी वस्तु का नाम	अमानत राशि रूपये
वर्ग समूह 1	वेस्ट लीकेज मिल्क पाउच फिल्म का स्केप, दुग्ध चूर्ण के खाली पोलिथिन बैंक (25 किलो क्षमता के) बाक्स, वांशिग सोडा, कास्टिक सोडा के खाली प्लास्टिक बोरे, प्लास्टिक के अनुपयोगी दही, लस्सी, श्री खण्ड कप, पुराने कार्लगेटेड बाक्स, पाउच फिल्म के कागज के कोर, दुग्ध चूर्ण के खाली पेपर बैग इत्यादि।	10,000/-

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

::4::

: निविदा फार्म :
(Form A)

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
हबीबगंज भोपाल

सेवा में,

आपके निविदा संदर्भ: भोसदुसं/बैतूल/स्केप-07/2019 डियूऑन 04.06.2020 के संदर्भ में निविदा में दी गई सभी शर्तें हमारे द्वारा पढ़ ली गई हैं तथा हमें स्वीकार हैं।

EMD DD no.दिनांक.....राशि रु0.....
(धरोहर राशि की सत्यप्रति संलग्न है)

स्केप टेंडर की निविदा की समस्त शर्तें व भोपाल दुग्ध संघ द्वारा जारी निर्देश मुझे मान्य व स्वीकार्य हैं।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

पता

.....

फोन न0.....

पेन न0.....

GST न0.....

: निविदा फार्म :
(दर प्रपत्र)

NIT Ref. no.			
निविदाकार का नाम			
क्रमांक	अनुपयोगी वस्तु का नाम	लमसम दर	दर अंको में रूपये
वर्ग समूह 1.	वेस्ट लीकेज मिल्क पाउच फिल्म का स्केप, दुग्ध चूर्ण के खाली पोलिथिन बैंक (25 किलो क्षमता के), वांशिग सोडा, कास्टिक सोडा के खाली प्लास्टिक बोरे, प्लास्टिक के अनुपयोगी दही, लस्सी, श्री खण्ड कप, पुराने कारूगोटेड बाक्स, पाउच फिल्म के कागज के कोर, दुग्ध चूर्ण के खाली पेपर बेग इत्यादि।	लमसम दर	(दरें ऑफलाइन भरना होगा)

नोट :

- A-** भाव पत्र निम्नानुसार क्रम से लिफाफे में प्रस्तुत करें।
1. लिफाफा A में दरें प्रस्तुत किया जाना हैं।
 2. लिफाफा B में EMD राशि का डी.डी. प्रस्तुत किया जाना है।
 3. लिफाफा C में संबंधित समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना है। लिफाफा A,B,C एक ही मुख्य लिफाफे में प्रस्तुत करें।
- B.** दरों में विक्य कर टीसीएस सम्मिलित नहीं है, जो कि प्रचलित दरों के आधार पर अतिरिक्त देय होगा।